बृजलाल (मृतक) जरिये विधिक वारिसान व अन्य

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य

13 दिसंबर, 2007

डॉ. अरिजीत पसायत और पी. सदाशिवम, जे.जे.

भूमि कानून और कृषि किरायेदारीः

हरियाणा सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एक्ट, 1972 धारा 18 (6) - अधिशेष क्षेत्र-भू स्वामी द्वारा भूमि के स्वयं के कृषि कार्य हेतु आवश्यकता होने के आधार पर किरायेदारों को बेदखल किये जाने हेतु आवेदन-प्राधिकृत अधिकारी द्वारा स्वीकृत-किरायेदारों द्वारा निगरानी याचिका प्रस्तुत-वित्त आयुक्त द्वारा प्रकरण को कलक्टर को पुनः इस निर्देश के साथ रिमाण्ड, अधिशेष क्षेत्र को 1972 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार तय करना और किरायेदारों के वादग्रस्त भूमि में अधिकारों को तय करना - आपत्ति प्रस्तुत-उच्च न्यायालय द्वारा खारिज-अपील-निर्णयः उच्च न्यायालय इसी न्यायालय के समान विवाद के संबंध में दिये गये निर्णय को नजरंदाज किया गया और हरियाणा राज्य व अन्य बनाम् श्रीमती कमला देवी व अन्य में यह अभिनिर्धारित किया जा चुका है कि यदि किरायेदार क्या किसी अधिकार के काबिल थे जबकि उन्होंने वित्त आयुक्त् के निर्णय को

लंबी अवधि के पश्चात् चुनौती दी है-चूंकि बुनियादी मुददों पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया है, इसलिए इस पर ध्यान देते हुए नए सिरे से निर्णय लेने के लिए मामला उच्च न्यायालय को भेजा जाता है।

शब्द और वाक्यांशः ''किसी भी समय-हरियाणा की धारा 18 (6) के संदर्भ में भूमि धारण अधिनियम, 1972 पर अधिकतम सीमा।''

दिनांक 26.7.1961 कलेक्टर के द्वारा मृतक 'पी के अधिशेष क्षेत्र के संबंध में आकलन किया। दो किरायेदारों की अपील पर कलेक्टर को पुनः आकलन करने के लिये रिमाण्ड किया। कलक्टर ने 'पी के अधिशेष क्षेत्र मामले को तय करने के लिए कार्यवाही शुरू की। कार्यवाही के दौराान हरियाणा सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एक्ट, 1972 लागू हुआ। प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा 1972 अधिनियम के तहत कार्यवाही कर यह निष्कर्ष दिया कि अन्य भू-स्वामियों की कुल भूमि अनुज्ञात सीमा से कम थी। तत्पश्चात् भू-स्वामियों ने किरायेदारों की बेदखली हेतु इस आधार पर आवेदन किया कि वे छोटे भू-मालिक हैं और उन्हें स्वयं की खेती के लिये भूमि की आवश्यकता है। उनका यह आवेदन प्राधिकरण द्वारा स्वीकार किया गया। प्रत्यर्थी-किरायेदारांे के द्वारा अपील प्रस्तुत की गई जो अपीलेट आथाॅरिटी द्वारा खारिज की गई निगरानी याचिका भी अथाॅेरिटी द्वारा खारिज की गई। किरायेदारों के द्वारा तब 1972 के अधिनियम की धारा 18

(6) के तहत स्वतः संज्ञान लेने के लिए और अथाॅरिटी द्वारा पारित आदेश को अपास्त किये जाने याचिका दायर की गई। दिनांक 12.9.1997 को वित्तीय आयुक्त के द्वारा 'पी के लंबित मामले सहित मामलों को रिमांड पर लेने का आदेश पारित किया गया। 'पी' के विधिक वारिसों द्वारा पुनर्विलोकन याचिका इस आधार पर प्रस्तुत की कि अधिशेष क्षेत्र 'पी की मृत्यु 1972 के अधिनियम के लागू होने से पूर्व में होने बावजूद अधिनियम के अनुसार तय किये जावेंगे और उसी अनुरूप किरायेदारों के अधिकारों का निर्धारण किया जावे। पुनर्विलोकन याचिका वित्त आयुक्त द्वारा 10.03.1999 को खारिज की गई। भू-स्वामी के विधिक वारिसों के द्वारा वित्त आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.09.1997 तथा 10.03.99 के विरूद्ध रिट याचिकाएं प्रस्तुत की गई जिसमें से केवल एक याचिका के अतिरिक्त अन्य सभी याचिकाएं उच्च न्यायालय द्वारा खारिज की गई हैं। इसलिये अपील प्रस्तुत हुई।

अपीलांट द्वारा तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्य बनाम अन्नपूर्णाबाई और अन्य एआईआर (1985) एस. सी. 1403 और उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सिविल जज, नैनीताल और अन्य, ए. आई. आर. (1987) एस. सी. 16 के निर्णय में प्रतिपादित किये गये सिद्धांत के आधार पर निर्णय दिया गया है परंतु वह निर्णय महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्यों के संबंध में था जहां हरियाणा अधिनियम की धारा 10-ए (बी) के समान

कोई प्रावधान नहीं है इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा दोनों निर्णय में भेद करने में असमर्थ रहे।

अपीलों को अनुमति देते हुए न्यायालय ने यह तय पाया कि यह दृष्टिगत होता है कि उच्च न्यायालय के द्वारा वित्त आयुक्त हरियाणा राज्य और अन्य श्रीमती. केला देवी और अन्य ्रके मामले में दिये गये निष्कर्ष पर ध्यान नहीं दिया गया और न ही इस संबंध में कोई निष्कर्ष दर्ज किया है कि क्या लंबे समय अवधि के अवसान के बाद गैर सरकारी प्रत्यर्थीगण द्वारा आपत्ति उठाने के संबंध में की गई कार्यवाहियों के आधार पर उन्हें कोई राहत प्रदान नहीं की जा सकती। यद्यपि धारा 18 (6) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति किसी भी समय से जाहिर हे कि एक उचित समय होना चाहिए और यदि आदेश को लागू करने के लिए कार्रवाई की जाती है। लंबे समय के बाद न्यायालय को इस बात की जांच करनी होगी कि क्या वह उसी के लिए राहत प्रार्थना करना उचित होगा। (पैरा 11, 582-ई, एफ.)

वित्तीय आयुक्त, हरियाणा राज्य और अन्य वी. श्रीमती. केला देवी और अन्य,(1980) 1 एस. सी. सी. 77, पर अवलम्ब लिया गया।

1.2 चूंकि बुनियादी मुद्दों पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया है, मामला नए सिरे से तय करने के लिए मामला उच्च न्यायालय को इस निर्देश के साथ भेजा जाता है कि वे इस न्यायालय द्वारा श्रीमती. केला देवी के प्रकरण में तय किए गए मामले में दिये गये मत को ध्यान में

रखते हुए तय करें। पक्षकार को ताजा सामग्री रखने की अनुमति होगी यदि वे पहले से ही इसका हिस्सा नहीं हैं चूंकि मामला लंबे समय से लंबित है, इसलिए उच्च न्यायालय ने यथाशीघ्र मामले का निपटारा करें। (पैरा 12 और 13, 582-जी, 583-ए)

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील सं. 1645-1647/2001

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 15.11.2000 से, जो कि सी. डब्ल्यू.पी. सं. 6392-6394/1999 में पारित किया गया।

अपीलार्थियों की ओर से एम. के. दुआ।

प्रतिवादी की ओर से मनोज स्वरूप।

जस्टिस डॉ. अरिजीत पासायत द्वारा निर्णय दिया गया।

1. इस अपील के माध्यम से पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की पीठ के द्वारा अपीलार्थी द्वारा दायर तीन रिट याचिकाओं को खारिज कर रिट याचिका सं. 6395/1999 को इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए स्वीकार किया हैकि प्रत्यर्थी दलीप सिंह ने सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी के समक्ष दिनांक 6 दिसंबर, 1967 को स्पष्ट रूप से यह कथन किया थ कि वह छोटा भू-स्वामी है और उसे बेदखली से कोई आपत्ति नहीं है। वह किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं चाहता।

2. यह विवाद धारा 10-ए (बी) पंजाब भूमि कार्यकाल सुरक्षा अधिनियम, 1953 (संक्षेप में अधिनियम) की पृष्ठभूमि में उत्पन्न होता है जिसको हल करने के लिए कुछ तिथियों को नोट करने की आवश्यकता है।

3. 26.7.1961 को कलेक्टर अधिशेष क्षेत्र, सिरसा ने पतराम के क्षेत्र का अधिनियम के तहत मूल्यांकन किया और दिनांक 24.7.1962 को कमिश्नर के उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील अम्बाला डिवीजन में प्रस्तुत हुई किंतु पंजाब सुरक्षा भूमि कार्यकाल (संशोधन और वैधता) संक्षेप में संशोधन अधिनियम श्)अधिनियम, 1962 के अधिनियमन को देखते हुए इस अपील पर जोर नहीं दिया गया। बिशन सिंह और दलीप सिंह नामक दो किरायेदारों की कलक्टर के आदेश दिनांक 26.07.1961 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत किये जाने पर आयुक्त ने अधिशेष क्षेत्र के मामले को कलक्टर को पुनः सुनकर करने हेतु रिमांड किया। पतराम की मृत्यु बाद में दिनांक 7.2.1966 पर हुई। दिनांक 15.7.1969 को विशेष कलेक्टर, हरियाणा के आदेश के अनुसार पतराम के अधिशेष क्षेत्र मामले को तय करने के लिए कार्यवाही नये सिरे से शुरू की गई। उनका आदेश दिनांकित 15.7.1969 काफी महत्वपूर्ण है जिसका विवेचन बाद में किया जावेगा। दिनांके 23.12.1972 को जबकि कार्यवाहियां लंबित थी हरियाणा सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एक्ट, 1972 (संक्षेप में) हरियाणा अधिनियम लागू हुआ। फिर 20.7.1977 को उप-मंडल अधिकारी (सिविल) सह निर्धारित प्राधिकृत,

डबवाली ने सोहन लाल, बृज लाल और हजारी लाल के अधिशेष क्षेत्र का निर्धारण हरियाणा अधिनियम के तहत तय किया और यह पाया कि प्रत्येक के संबंध में कुल भूमि अनुज्ञेय सीमा से कम थी। इसी प्रकार धोकन राम, अमीलाल और शंकर लाल के अधिशेष क्षेत्र के संबंध में भी हरियाणा अधिनियम के तहत तय किया गया और यह तय पाया कि कोई अधिशेष क्षेत्र नहीं है। दिनांक 12.10.1989 को बृज लाल और अन्य ने एक रिट याचिका बलबीर सिंह, भोला सिंह, जगत सिंह और हरपाल सिंह पुत्रान बिशन सिंह ने सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, डबवाली के समक्ष इस आधार पर कि अपीलार्थी छोटी भूमि के मालिक थे और उन्हें स्व-खेती के लिए भूमि की आवश्यकता है। दिनांक 28.8.1991 को बेदखली आदेश पारित हुआ और यह भी माना गया कि बलबीरसिंह व अन्य किसी भी वैकल्पिक भूमि पर पुनर्वास के अधिकारी नहीं है क्योंकि भूमि पहले से उनके कब्जे में है। दिनांक 22.1.1992 को प्रत्यर्थी बलबीर सिंह और अन्य द्वारा प्रस्तुत बेदखली आदेश के विरूद्ध अपील कलक्टर सिरसा के द्वारा खारिज की गई। कलक्टर के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी बलवीर ंिसह द्वारा प्रस्तुत की गई रिट याचिका कमिश्नर के द्वारा खारिज की गई। दिनांक 08.4.1993, जो कि एक महत्वपूर्ण तिथि है, बलवीर सिंह व अन्य के द्वारा निगरानी याचिका सं. आरओआर 398/1992-93 अंतर्गत धारा 18 (6) हरियाणा अधिनियम के तहत स्वतः संज्ञान लेने और विशेष कलक्टर के आदेश दिनांकित 15.07.1969 को अपास्त करने हेतु पेश किया। दिनांक

13.9.1997 को वित्त आयुक्त हरियाणा द्वारा कलक्टरको पुनः पतराम की मृत्यु होने के बावजूद भी उसके अधिशेष क्षेत्र को तय करने हेतु पतरामऔरउसके6 पुत्रों ंको हरियाणा अधिनियम के तहत तय करने और तत्पश्चात किरायेदारों के अधिकारों को प्रश्नगत जमीनों को खरीदने के संबंध में तय करने का आदेश पारित किया गया। एक रिव्यू याचिका दायर की गई जो कि आदेश दिनांक 10.03.1999 के द्वारा खारिज की गई। दिनांक 12.09.1997 तथा 10.03.1999 के वित्त आयोग हरियाणा के आदेशों को चुनौती देते हुए रिट याचिका प्रस्तुत की गई।

4. दिनांक 26.07.1961 को मूल आवंटी पतराम जिसका निधन 07.12.66 को हो गया था तथा जिसके 6 पुत्र थे, की कुछ भूमि को अधिशेष घोषित किया गया। अपीलांट के अनुसार उसकी मृत्यु की तारीख पर नामान्तरण खुला और इसलिये ये पुनः तय किया जाना चाहिये था कि क्या अपीलांट छोटे भूस्वामी है? उनका तर्क रहा कि तीन चरण होते है प्रथम चरण जब अधिशेष क्षेत्र के घोषणा के पश्चात् उसका कब्जा लिया जाता है तत्पश्चात् उसका आवंटन किया जाता है और अन्त में कब्जा किरायेदार को सौपा जाता है।

विशेष कलेक्टर, हरियाणा, हिसार कैम्प के द्वारा मुकदमा संख्या एससी 340 में दिनांक 15.07.1969 के आदेश जो निम्नानुसार हैः-

"आज किरायेदार बिशन सिंह और दलीप सिंह मौजूद हैं। उन्होंने खुलासा किया है कि पतराम की मृत्यु हो गई है। तथा उसके 6 जीवित पुत्र उत्तराधिकारी है। जिनके नाम शंकर लाल, ढोंकल राम, हजारी लाल, बृज लाल और अमीन लाल हैं। मृत्यु दो या दो या ढाई साल पहले हुई थी परन्तु अपील के पश्चात् हुई थी। परन्तु अपील के पश्चात् स्थिति परिवर्तित हो गई है और पतराम के उत्तराधिकारियों के विरूद्ध सिवाय जो अधिशेष क्षेत्र घोषित कर उपयोग में लिया गया है, पुनः नवीन कार्यवाहियां किया जाना आवश्यक है"

5. उनका तर्क रहा कि 1969 के आदेश पारित करने के काफी वर्षों के पश्चात् वर्ष 1992-93 में आदेशों को चुनौती दी गई है। उसी प्रकार वर्ष 1977 यह घोषणा की गई थी कि अपीलांट छोटे भू स्वामी है। इसलिये बिना किसी विधिक उपचार, अपील या रिवीजन के अभाव में लम्बे समय के व्यतीत होने के पश्चात् गैर अधिकारिक उत्तरदाता उनकी अबाधित कब्जे को नहीं बदल सकते थे।

6. कार्यवाही में अपीलार्थियों के प्रतिकूल आदेश पारित किए गए। उन्हें रिट याचिकाओं में उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। एक रिट याचिका को छोडकर बाकी सब। रिट याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

7. उनका तर्क रहा कि हाईकोर्ट में इस न्यायालय के महाराष्ट्र राज्य बनाम अन्नपूर्णाबाई व अन्य एआईआर (1985) एस. सी. 1403 तथा उत्तर

प्रदेश राज्य बनाम सिविल जज, नैनीताल व अन्य , ए. आई. आर. (1987) एस. सी. 16 के निर्णय के आधार पर अपीलार्थी के विरूद्ध आदेश दिया गया है। उनका तर्क रहा किये निर्णय क्रमशः महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं और उक्त राज्यों में अधिनियमों में धारा 10-ए (बी) के समान कोई प्रावधान नहीं है। परन्तु न्यायालय के द्वारा उक्त भेद को नजरअंदाज कर दिया गया है। और हस्तगत प्रकरण में आवंटन के पश्चात् कब्जा नहीं लिया गया। इसलिये उसका कोई उपयोग नहीं किया गया जो कि मूलभूत आवश्यकता थी।

8. दूसरी ओर प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किये गये कि अपीलांट के द्वारा कुछ तथ्यात्मक पहलुओं को उजागर नहीं किया गया है। जहां आवंटन के बाद कब्जा नहीं लिया गया और घोषित किये गये अधिशेष क्षेत्र का पूरा उपयोग किया गया है। इस सम्बन्ध में एक दावा वर्ष 1961 में और अपील भी प्रस्तुत की गई थी जो कालान्तर में नोटप्रेस की गई। विद्वान अपर जिला न्यायाधीश सिरसा के निर्णय दिनांक 20 अगस्त 2001 का भी संदर्भ दिया गया है जिसमें अपीलार्थी के अनुसार निष्कर्ष दिये गये है जो काफी सुसंगत है और इसलिये अपीलार्थी स्पष्ट रूप से तथ्यात्मक पहलू का वर्तमान में उज्र उठाने का अधिकारी नहीं है।

9. यहां यह उल्लेख किया जाना उचित है कि न्यायालय के द्वारा यह नोट किया गया है कि विद्वान अधिवकता अपीलार्थी के तर्क पूर्णतया सही

दिये गये है कि हाईकोर्ट ने इस सम्बन्ध में कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया कि महाराष्ट्र और उत्तरप्रदेश के अधिनियम में कोई धारा 10ए (बी) के समान कोई प्रावधान है अथवा नहीं।

10. इस स्टेज पर इस न्यायालय के निर्णय वित्तीय आयुक्त, हरियाणा राज्य और अन्य बनाम श्रीमती. केला देवी और अन्य, 1980, 1 एस. सी. सी. 77 यह प्रश्न की उपयोग हुआ है कैसे तय किया जावेगा।

"3. एकमात्र प्रश्न जो विचार किये जाने योग्य है वह कि क्या उच्च न्यायालय का यह दृष्टिकोण कि केवल किरायेदारो को भूमि का धारा 10ए के तहत आवंटन से यह नहीं माना जायेगा कि अधिशेष भूमि का उपयोग किया जा चुका है। जब तक बेदखल किये गये किरायेदार आवंटन के पश्चात कब्जा प्राप्त नहीं कर लेते।

4. यह विवादास्पद नहीं है कि यह तय किया जा चुका है कि अधिशेष क्षेत्र नाथी के केस में 6 मानक एकड और 8 मानक इकाईयों का है और इसके सम्बन्ध में निर्णय उसके जीवनकाल में दिनांक 25 नवम्बर 1959 को लिया जा चुका है। यह भी विवादास्पद नहीं है कि अधिशेष क्षेत्र के आवंटन के सम्बन्ध में अन्य किरायेदारों के बाबत अन्तर्गत धारा 10 ए (ए) के तहत किया जा चुका है जो नियमानुसार हैः-

धारा 10 ए (ए) राज्य सरकार के द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी इसके द्वारा किसी भी अधिशेष क्षेत्र के उपयोग किरायेदारों के पुनर्वास या उन्हें बाहर निकाले जाने के लिये करने हेतु धारा 9 की उपधारा 1 के खंड (I) के अनुसारः-

अतः जहां यह धारा राज्य सरकार या उसके अधिकृत अधिकारी को यह शक्ति प्रदान करती है कि वह किरायेदारों के पुनर्वास हेतु अधिशेष क्षेत्र का उपयोग कर सके, पर उपयोग करने से तात्पर्य क्या होगा यह अधिनियम परिभाषित नहीं करता। एक सुराख धारा 10ए के खंड बी से हालांकि प्राप्त होता है जो ये प्रावधान करता है

10 - ए (बी) किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद तथा सिवाय जो भूमि राज्य सरकार द्वारा किसी कानून के अधीन अवाप्त की गई है या जो विधिक वारिस के द्वारा उत्तराधिकार में प्राप्त की गई है अन्य किसी भूमि जो अधिशेष भूमि में शामिल है, का हस्तान्तरण या अन्य भूमि का निपटान उसकी उपयोगिता को खण्ड ए अनुसार प्रभावित नहीं करेगा।

अतः यह खण्ड अधिशेष भूमि में शामिल उस भूमि को बचाने का प्रभाव रखता है जो विधिक वारिस के द्वारा उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है। अतः उपरोक्तानुसार हस्तगत प्रकरण में विधिक वारिस को भूमि उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है। अधिशेष क्षेत्र के उपयोग को प्रभावित करता है भले ही केवल एक इसके लिए धारा 10-ए के खंड (ए) के तहत आदेश (एस. आई.

सी.) दिया गया है। अन्य किरायेदारों के (एस. आई. सी.) निपटान के लिए उपयोग लेकिन उस आदेश में नहीं है।

5. धारा 10ए के प्रावधानों को पूर्ण रूप से समझने के लिये यह आवश्यक है कि पंजाब सिक्योरिटी आॅफ लैण्ड टैन्योर रूल्स 1956 के नियम 18, 20ए, 20बी व 20सी के प्रति संदर्भ को भी ध्यान रखना आवश्यक है। नियम 18 अधिशेष क्षेत्र का पुनर्वासित किरायेदारों के आवंटन की प्रक्रिया से संबंध्ाित है। नियम 20ए भूमि के आवंटन के सर्टिफिकेट के विषय में प्रावधान करता है। नियम 20बी कब्जे के सुपुर्द करने और पुनर्वासित किरायेदार के आवंटित भूमि का कब्जा दो महीने या ऐसी विस्तारित अवधि जिसकी अनुमति दी जा सकती है संबंधित अधिकारी। नियम 20-सी अन्य बातों के साथ-साथ पुनर्वासित किरायेदार के द्वारा कबूलियत या पट्टा के निष्पादन का प्रावधान करता है।

इससे यह प्रकट होता है कि प्रारंभिक स्टेज पर भूमि का आवंटन अधिशेष क्षेत्र के उपयोग की प्रक्रिया में एक प्रारंभिक चरण है, जो प्रक्रिया को पूरी नहीं करता। क्योंकि आवंटी को आवंटन का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के साथ भूमि का कब्जा विहित अवधि में प्राप्त करने और उसका पट्टा या कबूलियत का निष्पादन करना भी आवश्यक है और इस प्रकार अधिनियम की धारा 10ए के अनुसार उपयोगिता की प्रक्रिया अधिशेष क्षेत्र के विषय में तभी पूरी होती है जब कब्जा आवंटी के द्वारा ले लिया हो और अन्य

औपचारिकताऐं पूर्ण कर ली हो। इसलिये इस तर्क में कोई बल नहीं है कि केवल आवंटन के आदेश मात्र से प्रक्रिया सम्पूर्ण हो जाती हो।

6. इसी संदर्भ में नियम 20 का उल्लेख किया जाना भी उचित है जो यह प्रावधान करता है कि जो किरायेदार पुनर्वास हेतु आवंटित किये गये अधिशेष क्षेत्र का कब्जा विहित अवधि में नहीं लेता, उसका आवंटन निरस्त किये जाने योग्य होगा और ऐसी भूमि किसी अन्य किरायेदार के पुनर्वास के उपयोग हेतु उसको आवंटित की जा सकेगी। इसलिये यह संशय नहीं है कि केवल अलोटमेंट आदेश होते ही पूर्ण स्वामित्व प्राप्त नहीं होता है और इस प्रकार का आदेश अन्य शर्तों के पूरी नहीं करने पर निरस्तनीय है।

7. इसलिए जब नाथी के अधिशेष क्षेत्र के उपयोग की प्रक्रिया थी उस समय तक पूरा नहीं हुआ जब तक कि उसके उत्तराधिकारियों ने विरासत में संबंधित अधिकारियों को उपरोक्त आवेदन प्रस्तुत कर दिया था। उन अधिकारियों के लिए यह अनुज्ञेय था कि वह इस सम्बन्ध में जांच करते कि क्या नाथू कि मृत्यु के पश्चात उसके भूमि को दो बराबर-बराबर हिस्से में बांटने के बाद कोई अधिशेष भूमि शेष थी और उनके द्वारा उन प्रत्येक के भाग में आई भूमि स्वीकृत क्षेत्र से कम थी या नहीं। और इस आधार पर हाईकोर्ट में प्रत्यर्थीगण की रिट पीटीशन स्वीकार की है।''

11. जाहिर है, उच्च न्यायालय ने इस फैसले पर ध्यान नहीं दिया है। इसने इस बारे में कोई निष्कर्ष भी दर्ज नहीं किया है कि क्या लंबे अंतराल

के बाद समय, गैर आधिकारिक उत्तरदाताओं द्वारा चुनौती देने में की गई कार्रवाई अपीलार्थियों के पक्ष में आदेश उन्हें किसी भी राहत से वंचित कर देता है। हालांकि हरियाणा अधिनियम की धारा 18 (6) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति ष्किसी भी समय है, जाहिर है कि यह एक उचित समय होना चाहिए और अगर कार्रवाई की जाती है। आदेश के लंबे समय बीतने के बाद, न्यायालय को यह जांचना होगा कि क्या यह इसके लिए राहत प्रार्थना करना उचित होगा।

12. चूंकि बुनियादी मुद्दों पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया है हम मामले को नए सिरे से श्रीमती केला देवी के निर्णय (उपरोक्त) अनुसार तय करने के लिए मामले को उच्च न्यायालय को भेजते हैं।

13. पक्षों को ताजा सामग्री रखने की अनुमति दी जाएगी। उनके संबंधित स्टैंड का यदि वे पहले से ही इसका हिस्सा नहीं हैं चूंकि मामला लंबे समय से लंबित है, इसलिए हम उच्च न्यायालय से अनुरोध करते हैं मामलों का जल्द से जल्द अधिमानतः सितम्बर 2008 तक तय करे।

14. अपीलों को उपरोक्त सीमा तक अनुमति दी जाती है। वहाँ लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

एसकेएस.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्वेता ढाका (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है। अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।